

जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण (Control of population growth)

1. कानून व्यवस्था :- मारतवर्ष ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए संविधान में कोड कानूनी व्यवस्था होनी पाई। सरकार ने विवाह योग्य उम्रकी की आयु 18 वर्ष तक उम्रकी की आयु 21 वर्ष निर्धारित की है ताकि इस कानून का भी कठोरता से पालन नहीं हो पाए रहा है।

2. अचित शिक्षा का घटनाध :- जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अचित शिक्षा व्यवस्था अति आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से ही परिवार को सीमित वर्षन की प्रेरणा की जा सकती है। शिक्षित व्यक्ति अंधकिश्वास व रोधीप्राणियों से बाहर निकल जाता है।

(3) सीमित परिवारः - मानवपक्ष में लगभग 11% का
परिवार ऐसे हैं जिनकी वैवाहिक आयु निर्धारित आयु से
कम है। इन्हें शिक्षित करके परिवार की सीमित रखने
के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(4) परिवार कल्याण सम्बंधी कार्यक्रमों में रुचीः - परिवार
की सीमित रखने के लिए सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रमों
द्वारा आमोजन किया जाना चाहिए जिनसे लोगों को
प्राक्षादन मिल सके और वे परिवार कल्याण सम्बंधी
कार्यक्रमों में रुचि ले। जैसे - दी बृद्धों वाले, परिवार
में बढ़ों की नियमित शिक्षा सरकार, अन्य गलों में
मुफ्त इलाज, आवासीय योजनाओं में आरक्षण,
नोकरियों में प्राधिकरण, इवं वा व्यवसाय करने हेतु
बैंकों से गट्ठण सुविधा आदि।

(5) आधिक स्तर में सुधारः - उचित रोजगार के अपवाह
उपलब्ध कराकर इसकी आधिक स्तर में सुधार
लाया जा सकता है।